बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, 6 मार्च, 2018

संख्या : 1/सी0–1005/2007–सा0 प्र0–3134/ दिनांक 02.11.2002 से 05.12.2010 तक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि में श्री राजित पुनहानी, भा0प्र0से0(बी एच : 1991) को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–4 में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी। तत्पश्चात्, दिनांक 04.10.2010 से 26.11.2010 तक आयोजित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–4 में उन्होंने भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया ।

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस किये जाने के बाद दिनांक 06.12.2010 को पैतृक संवर्ग (बिहार संवर्ग) में योगदान देने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–63 दिनांक 04.01.2011 द्वारा श्री पुनहानी को दिनांक 06.12.2010 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति प्रदान की गयी ।

3. मूल संवर्ग (बिहार संवर्ग) से बाहर की पदस्थापन अवधि में संबंधित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–4 (अधिसमय वेतनमान में प्रोन्नति हेतु जिसकी पूर्णता आवश्यक होती है) में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के एक सदृश मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक–11030/3/2015–ए आई एस–।। दिनांक–20.05.2016 से अधिसमय वेतनमान में कनीय को प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में निदेश प्राप्त है।

4. अतएव, विभागीय अधिसूचना संख्या–63 दिनांक–04.01.2011 द्वारा श्री राजित पुनहानी,भा0प्र0से0(1991) को अधिसमय वेतनमान में दिनांक 06.12.2010 के प्रभाव से प्रदत्त प्रोन्नति को दिनांक–01.01.2008 (श्री पुनहानी से कनीय पदाधिकारी–श्री एस सिद्धार्थ, भा0प्र0से0–बी एचः 1991 द्वारा अधिसमय वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि) के प्रभाव से पुनरीक्षित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6.3.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : /सी0–1005/2007–सा0 प्र0–.3134/पटना–15, दिनांकः 6 मार्च, 2018

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/श्री राजित

पुनहानी,भा0प्र0से0(1991), संयुक्त सचिव और महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम ओर नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत विकल्प का प्रयोग आवश्यकतानुसार कर सकते हैं:–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

6.3.18

सरकार के अवर सचिव ।